रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 487] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 14, 2016/आषाढ़ 23, 1938
No. 487] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 14, 2016/ASADHA 23, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

(भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 694(अ).—भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 51 की उपधारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और भांडागारण सलाहकार समिति के साथ परामर्श करके निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना:- ये विनियम प्राधिकरण के प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी और अन्य कर्मचारी को लागू होंगे:

परंतु ये विनियम अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय अस्थायी रूप से (परिवीक्षा अधिकारियों से भिन्न) या संविदा आधार पर नियोजित व्यक्तियों, को लागू नहीं होंगे ।

3. परिभाषाएं:- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "नियुक्ति प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो प्राधिकरण द्वारा उस रूप में घोषित किया गया है ;

(घ) "काडर" से अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट अधिकारी श्रेणी और कर्मचारी श्रेणी में पदों के समूह अभिप्रेत है ;

(ड.) "कर्मचारी" से अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट समूह 'ख' और समूह 'ग' कर्मचारिवृंद अभिप्रेत है;

(च) "अधिकारी" से अनुसूची 1 मे विनिर्दिष्ट समूह 'क' और समूह 'ख' अधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) "वेतन" से किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा-

(i) उस वेतन, जिसे उसके द्वारा अधिष्ठायी रूप में या स्थानापन्न हैसियत में उसके द्वारा धारित पद के लिए मंजूर किया गया था या जिसके लिए वह काडर में अपनी पद हैसियत के कारण हकदार है, के रूप में ;

(ii) "विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन" के रूप में ;

(iii) "कोई अन्य परिलब्धियां जो विशेष रूप से प्राधिकारी द्वारा वेतन के रूप में" वर्गीकृत की जाएं, आहरित रकम अभिप्रेत है;

(ज) "व्यक्तिगत वेतन" से किसी अधिकारी और कर्मचारी को-

(i) वेतन पुनरीक्षण के कारण स्थायी पद के संबंध में मूल वेतन की हानि से उसे जाने के लिए या किसी अनुशासनिक उपाय से अन्यथा भिन्न ऐसी मूल वेतन की किसी कटौती के लिए; या

(ii) अन्य वैयक्तिक बातों के संबंध में आपवादिक परिस्थितियों में मंजूर अतिरिक्त वेतन अभिप्रेत है;

(झ) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ञ) "चयन समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसे प्राधिकरण द्वारा उस रूप में घोषित किया गया है;

(ट) "सेवा" के अंतर्गत ऐसी अवधि है जिसके दौरान कोई अधिकारी और कर्मचारी कर्तव्यारूढ़ होता है और साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यकत: प्राधिकृत छुट्टी पर होता है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसी अवधि नहीं है जिसके दौरान कोई अधिकारी और अन्य कर्मचारी अनुमति के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है या अपनी छुट्टी से तब तक अधिक छुट्टी पर रहता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात न किया जाए या माफ न किया जाए ;

(ठ) "विशेष वेतन" से किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के पद की परिलब्धियों के अतिरिक्त इस प्रकार का वेतन अभिप्रेत है जो कार्य या उत्तरदायित्व के विनिर्दिष्ट परिवर्धन के प्रतिफल स्वरूप प्राधिकारी के विवेकानुसार प्रदान की गई है ;

(ड) "मूल वेतन" से ऐसा वेतन अभिप्रेत है जिसके लिए कोई अधिकारी और अन्य कर्मचारी उस पद के कारण हकदार है जिस पर उसकी काडर में अधिष्ठायी रूप से या उसकी अधिष्ठायी पद हैसियत के कारण नियुक्ति की गई है ।

(2) उन शब्दों और पदों जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन विनियमों में परिभाषित नहीं किंतु इस अधिनियम में या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित नहीं हैं, के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम या नियमों में हैं ।

अध्याय 2

प्राधिकरण के अधिकारियों के वेतन और भत्ते

4. प्राधिकरण के अधिकारियों का वेतन और भत्ते और ऐसे अधिकारियों की संख्या वह होगी जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट की जाए ।

5. **अधिकारी काडर का गठन** – (1) अधिकारी काडर निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

(क) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने इस काडर के गठन से ठीक पूर्व प्रतिनियुक्ति पर या तदर्थ नियुक्ति आधार पर अनुसूची 1 में यथा सूचीबद्ध अधिकारी का कोई पद धारण किया हुआ था और उसे विनियमित किया गया है ।

(ख) विनियम 7 के अधीन किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति ।

(2) उप विनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति पर प्राधिकरण में उसकी आरंभिक नियुक्ति की तारीख से उसको लागू समुचित श्रेणी में काडर के सदस्य के रूप में समझा जाएगा ।

(3) इन विनियमों के प्रारंभ पर अधिकारियों के काडर में वे पद होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

IndiaCode

(4) उपरोक्त उपबंधों के अधीन भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण में नियुक्ति पर वेतन प्रसामान्यत: वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा और तथापि प्राधिकरण ज्येष्ठता को अभ्यर्थी के पहले से ही प्राप्त किए जा रहे वेतन और उसकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए उच्चतर बिंदु पर नियत कर सकेगा ।

6. **अधिकारी काडर का आरंभिक गठन**: नियमित आधार पर नियुक्त किए गए और भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण(अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2016 के प्रारंभ की तारीख को अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट पद धारण करने वाले सभी व्यक्ति इन विनियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उक्त प्रारंभ से पूर्व उक्त पद पर उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं प्रोन्नति के लिए और अगली उच्चतर श्रेणी में वैसी ही प्रोन्नति के लिए पात्रता विनिश्चित करने के लिए विनियमित सेवा के रूप में हिसाब में ली जाएगी ।

7. **भर्ती की पद्धति**- (1) अधिकारी काडर की आरंभिक विरचना के पश्चात्, यदि कोई रिक्ति विनियम 5 के उप विनियम (3) की अनुसूची (1) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी श्रेणी में उत्पन्न होती है या यदि श्रेणियों में से किसी श्रेणी में कोई नया पद सृजित किया जाता है तो वह अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट रीति में भरा जाएगा ।

(2) विनियम 7 के उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक दशा में चयन अनुसूची 3 में यथा विनिर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिश पर होगा ।

8. सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया- ऐसे विभिन्न पदों जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है, पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चयन निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) ऐसी रिक्तियां जिन्हें भरा जाना है, कम से कम दो प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापित की जाएंगे ।

(ख) ऐसे आवेदन जिनमें विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तारीख तक प्राप्त किया जाना है या जो ऐसे अभ्यर्थियों से प्राप्त होने हैं जो अधिकथित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(ग) शेष आवेदनों से, चयन समिति ऐसे अभ्यर्थी को छांटेगी, जिन्हें साक्षात्कार या लिखित परीक्षा या दोनों के लिए, जैसा प्राधिकारी ठीक समझे, बुलाया जाना है, परंतु नियुक्ति प्राधिकारी साक्षात्कार या लिखित परीक्षा या दोनों के लिए सभी अभ्यर्थियों को बुलाने के लिए चुन सकेगी और समूह ख पदों के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा तथा इस आशय के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों का अनुसरण किया जाएगा ।

(घ) अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का अंतिम चयन यथा स्थिति साक्षात्कार या लिखित परीक्षा या दोनों में अभ्यर्थी के निष्पादन के सम्मिलित मूल्यांकन और उसकी अर्हता या कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

(ङ.) नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार ऐसे उपयुक्त अभ्यर्थियों के नामों का एक पैनल रख सकेगा जिन्हें संबद्ध पदों पर भावी रिक्तियों के संबंध में नियोजन प्रदान किया जा सकेगा और नामों का ऐसा कोई पैनल, यदि तैयार करके और बनाकर रखा जाए, उसके अनुमोदन की तारीख से बारह मास से अनधिक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा ।

9. **व्यावृत्ति खंड** – इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित है ।

10. **अर्हताएं और आयुसीमा**- सीधी भर्ती द्वारा काडर में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और आयुसीमा वह होंगी जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

11. **प्रोन्नति के लिए प्रक्रिया**- (1) प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट निचली श्रेणी में से की जाएगी ।

(2) काडर की आरंभिक विरचना के समय किसी श्रेणी में नियुक्त किए गए काडर के उद्देश्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता प्राधिकरण द्वारा नियत की जाएगी और जब तक विशेष कारणों से अन्यथा विनिश्चय न किया जाए इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख को उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता प्राप्त करके शासित की जाएगी ।

(3) किसी श्रेणी में आरंभिक विरचना में सम्मिलित किए गए सभी अधिकारियों को पश्चातवर्ती उस श्रेणी में नियुक्त किए गए सभी कर्मचारिवृंद से ज्येष्ठ पंक्ति में तब तक नहीं रखा जाएगा जब कर्मचारिवृंद को उस श्रेणी में विशेष रूप से उसे कतिपय जयेष्ठता देकर उस श्रेणी में नियुक्त नहीं कर दिया जाता है ।

(4) ऐसे अधिकारी की ज्येष्ठता, जो उपरोक्त उपबंधों के अंतर्गत नहीं आती है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी ।

12. **चिकित्सा परीक्षा-** ऐसे किसी अभ्यर्थी की जिसे ऐसी चिकित्सा जांच, जो प्राधिकरण विहित करे, के पश्चात् अच्छे मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य का होना नहीं पाया जाता है और किसी ऐसे मानसिक या शारीरिक दोष जिससे सेवा के कर्तव्यों के निर्वहन में व्यवधान पड़ने की संभावना है, से मुक्त नहीं है, पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा और ऐसे किसी अभ्यर्थी, जिसकी शारीरिक परीक्षा की गई है, का अभिप्राय या उसका अर्थ यह नहीं होगा कि उस पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा ।

अध्याय 3

प्राधिकरण के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते

13. प्राधिकरण के अधिकारियों के वेतन और भत्ते और ऐसे अधिकारियों की संख्या वह होगी जो अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट की जाए ।

14. **कर्मचारिवृंद काडर का गठन** – (1) कर्मचारिवृंद काडर निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

(क) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने इस काडर के गठन से ठीक पूर्व प्रतिनियुक्ति पर या तदर्थ नियुक्ति आधार पर अनुसूची 4 में यथा सूचीबद्ध कर्मचारिवृंद के रूप में कोई पद धारण किया हुआ था और उसे विनियमित किया गया है ।

(ख) विनियम 16 के अधीन पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति ।

(2) उप विनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति पर प्राधिकरण में उसकी आरंभिक नियुक्ति की तारीख से उसको लागू समुचित श्रेणी में काडर के सदस्य के रूप में समझा जाएगा ।

(3) इन विनियमों के प्रारंभ पर, कर्मचारिवृंद काडर में वे पद होंगे जो अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) उपरोक्त उपबंधों के अधीन भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण में नियुक्ति पर, वेतन प्रसामान्यत: वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा और तथापि, प्राधिकारी ज्येष्ठता को अभ्यर्थी के पहले से ही प्राप्त किए जा रहे वेतन और उसकी उपयु क्तता को ध्यान में रखते हुए उच्चतर बिंदु पर नियत कर सकेगा ।

15. **कर्मचारिवृंद काडर का आरंभिक गठन** -नियमित आधार पर नियुक्त किए गए और भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2016 के प्रारंभ की तारीख को अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट पद धारण करने वाले सभी व्यक्ति इन विनियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उक्त प्रारंभ से पूर्व उक्त पद पर उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं प्रोन्नति के लिए और अगली उच्चतर श्रेणी में वैसी ही प्रोन्नति के लिए पात्रता विनिश्चित करने के लिए विनियमित सेवा के रूप में हिसाब में ली जाएगी ।

16. **भर्ती की पद्धति-** (1) कर्मचारिवृंद काडर की आरंभिक विरचना के पश्चात्, यदि कोई रिक्ति अध्याय 3 के विनियम 14 में विनिर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी श्रेणी में उत्पन्न होती है या यदि किसी श्रेणी में कोई नया पद सृजित किया जाता है तो वह अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट रीति में भरा जाएगा ।

(2) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक दशा में चयन अनुसूची 3 में यथा विनिर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिश पर होगा ।

17. **सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया-** ऐसे विभिन्न पदों, जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है, पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चयन निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) ऐसी रिक्तियां, जिन्हें भरा जाना है, कम से कम दो प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापित की जाएंगे ।

(ख) ऐसे आवेदन जिनमें विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तारीख तक प्राप्त किया जाना है या जो ऐसे अभ्यर्थियों से प्राप्त होने हैं जो अधिकथित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(ग) शेष आवेदनों से, चयन समिति ऐसे अभ्यर्थी को छांटेगी जिन्हें साक्षात्कार या लिखित परीक्षा या दोनों के लिए, जैसा प्राधिकारी ठीक समझे, बुलाया जाना है, परंतु नियुक्ति प्राधिकारी साक्षात्कार या लिखित परीक्षा या दोनों के लिए सभी

अभ्यर्थियों को बुलाने के लिए चुन सकेगी और समूह 'ख' पदों के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा तथा इस आशय के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों का अनुसरण किया जाएगा ।

(घ) अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का अंतिम चयन लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी के निष्पादन के सम्मिलित मूल्यांकन और उसकी अर्हताओं या कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

(ड.) नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकानुसार ऐसे उपयुक्त अभ्यर्थियों के नामों का एक पैनल रख सकेगा जिन्हें संबद्ध पद पर भावी रिक्तियों के संबंध में नियोजन प्रदान किया जा सकेगा और नामों का ऐसा कोई पैनल यदि तैयार किया गया है और बनाकर रखा जाए, उसके अनुमोदन की तारीख से बारह मास से अनधिक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा ।

18. **व्यावृत्ति खंड** – इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित है ।

19. **अर्हताएं और आयुसीमा-** सीधी भर्ती द्वारा काडर में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और आयुसीमा वह होंगी जो अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

20. **प्रोन्नति के लिए प्रक्रिया-** (1) प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति अनुसूची 5 में यथा विनिर्दिष्ट निचली श्रेणी में से की जाएगी ।

(2) काडर की आरंभिक विरचना के समय किसी श्रेणी में नियुक्त किए गए काडर के उद्देश्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता प्राधिकरण द्वारा नियत की जाएगी और जब तक विशेष कारणों से अन्यथा विनिश्चय न किया जाए इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख को उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता प्राप्त करके शासित की जाएगी ।

(3) किसी श्रेणी में आरंभिक विरचना में सम्मिलित किए गए सभी कर्मचारिवृंद को पश्चातवर्ती उस श्रेणी में नियुक्त किए गए सभी कर्मचारिवृंद से ज्येष्ठ पंक्ति में तब तक नहीं रखा जाएगा जब कर्मचारिवृंद को उस श्रेणी में विशेष रूप से उसे कतिपय जयेष्ठता देकर उस श्रेणी में नियुक्त नहीं कर दिया जाता है ।

(4) ऐसे कर्मचारिवृंद की ज्येष्ठता जो उपरोक्त उपबंधों के अंतर्गत नहीं आती है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी ।

21. **चिकित्सा परीक्षा-** ऐसे किसी अभ्यर्थी की जिसे ऐसी चिकित्सा जांच, जो प्राधिकरण विहित करे, के पश्चात् अच्छे मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य का होना नहीं पाया जाता है और किसी ऐसी मानसिक या शारीरिक त्रुटि जिसे सेवा के कर्तव्यों के निर्वहन में व्यवधान पड़ने की संभावना है, से मुक्त नहीं है, पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा और ऐसे किसी अभ्यर्थी जिसकी शारीरिक परीक्षा की गई है, का अभिप्राय या उसका अर्थ यह नहीं होगा कि उस पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

22. परिवीक्षा- सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी और नया भर्ती किया गया व्यक्ति केवल तब अभिपुष्ट किया जाएगा जब उसने परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली हो और इस अवधि के दौरान उसकी सेवाएं और आचरण प्राधिकरण द्वारा संतोषजनक पाया गया है तथा उस दशा में कि किसी कर्मचारी की सेवा और आचरण परिवीक्षा अवधि के दौरान संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं, तो परिवीक्षा अवधि कर्मचारी को सुधार करने का अवसर प्रदान करने के लिए प्राधिकरण के विवेकानुसार विस्तारित किया जा सकेगा और यदि किसी कर्मचारी की सेवा और आचरण परिवीक्षा अवधि या विस्तारित परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी ।

23. भारत में या भारत से बाहर सेवा का दायित्व- काडर में नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी सदस्य भारत में या भारत से बाहर कहीं भी सेवा करने का दायी होगा ।

24. उन्नयन या अवनयन- यह विचार करते हुए कि भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के लघु काडर में प्रोन्नति के अवसर सीमित हो सकेंगे तो प्राधिकरण अधिकारी या कर्मचारीवृंद सदस्य जब वह किसी विशिष्ट पद और उत्तरदायित्व को

धारण करता रहता है, को अगला उच्चतर ग्रेड प्रदान करने पर विचार कर सकेगा और इसी प्रकार किसी निश्चित समय पर काडर में उच्चतर श्रेणी का कोई अधिकारी सेवा की अत्यावश्यकता में पद को धारित करता रहेगा और ठीक निचली श्रेणी में पद से संबंधित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता रहेगा।

25. वेतन निर्धारण- किसी विशिष्ट श्रेणी में किसी अधिकारी या कर्मचारिवृंद सदस्य का वेतन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

26. राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए और वह ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग का होना चाहिए जो समय समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

27. अर्हता(अर्हताएं)- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

28. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

29.निर्वचन- यदि इन विनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

30. कठिनाइयों का दूर किया जाना- प्राधिकरण समय समय पर ऐसे साधारण या विनिर्दिष्ट निदेश जारी कर सकेगा जो इन विनियमों के किसी उपबंध के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने में आवश्यक हों।

31. सेवा की शर्तें – (1) कार्य ग्रहण अवधि, वेतन छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत, सेवानिवृत्ति की आयु, संदेय वेतन वृद्धि आदि और सेवा की अन्य शर्तें, जिनके अंतर्गत केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 भी हैं, के विषय में प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी जो केन्द्रीय सरकार में सदृश्य श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होती हैं।

(2) प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं और जिन्हें सामान्य पूल के अधीन निवास की जगह आवंटित की गई है, समय समय पर यथा संशोधित शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, संपदा निदेशालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12035/14/92-पीओएल-2, तारीख 11 अक्तुबर, 2000 के निबंधनानुसार सरकारी निवास स्थान को प्रतिधारित करने के लिए पात्र होगा और यदि सरकारी निवास स्थान आवंटित नहीं किया गया है या उसका लाभ नहीं लिया गया है तो प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति और साथ ही अन्य केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा प्राप्त गृह किराया भत्ता और समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के बराबर गृह किराया भत्ते के लिए पात्र होंगे।

(3) घरेलू यात्रा पर अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू यात्रा और दैनिक भत्ते वैसे ही होंगे जैसे कि वे केन्द्रीय सरकार में सदृय श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू हैं।

(4) प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा सुविधाओं के लिए हकदार होंगे।

(5) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी उनके मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में उनको यथा लागू भविष्य निधि स्कीम या नई पेंशन प्रणाली द्वारा शासित होते रहेंगे।

प्राधिकरण ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से यथा लागू स्कीम या नई पेंशन प्रणाली के मद्दे अभिदाय की वसूली करेगा और उधार देने वाले मंत्रालय या विभाग या संगठन को तुरंत तुल्य अभिदाय यदि कोई हो सहित रकम प्रेषित करेगा।

विलंबकारी प्रेषण के कारण ब्याज की कोई हानि प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी ।

(6) प्राधिकरण के उन अधिकारियों और कर्मचारियों, जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, से भिन्न अधिकारी और कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के परामर्श से प्राधिकरण द्वारा तैयार की जाने वाली समूह बीमा स्कीम के लिए हकदार होंगे :

परंतु प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अपने मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में उनको यथा लागू समूह बीमा स्कीम द्वारा शासित होते रहेंगे । प्राधिकरण ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से बीमा स्कीमों के मद्दे अभिदाय वसूल करेंगे और उसे उधार देने वाले मंत्रालय या विभाग या संगठन को तुरंत प्रेषित करेंगे । विलंबकारी प्रेषण के कारण ब्याज की कोई हानि प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी ।

(7) प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदे, यदि कोई हों, जैसे कि वे उनको अपने मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में उपलब्ध हैं, के लिए पात्र होंगे ।

32. शासकीय विदेशी दौरा-(1) प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अन्य सदस्य या अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा ।

(2) समय समय पर यथा संशोधित, भारत सरकार, जिसके अंतर्गत वित्त मंत्रालय और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग भी है, द्वारा जारी अनुदेश लागू होंगे ।

33. प्रतिनियुक्ति भत्ता – प्रतिनियुक्ति पर चयन किए गए व्यक्तियों को एक विकल्प दिया जाएगा कि वे या तो वेतानमान के लिए और उधार लेने वाले संगठन के अन्य सेवा फायदे का विकल्प लें या इस विषय पर भारत सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार अपने ही वेतनमानों को बनाए रखें और प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करें ।

34. अवशिष्ट उपबंध – (1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय समय पर इन विनियमों के विषयों पर जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों या अनुदेशों का अनुसरण किया जाएगा ।

(2) सभी भत्ते और अन्य फायदे जिनके अंतर्गत बाल शिक्षा भत्ता भी है जिनके संबंध में इन विनियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू होते हैं, इस प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी लागू होंगे ।

(3) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों से संबंधित ऐसे विषय जो इन विनियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, केन्द्रीय सरकार को प्राधिकरण द्वारा उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

अनुसूची – 1

अधिकारी काडर

क्रम संख्या	पद का नाम	पद(पदों) की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड +ग्रेड वेतन
1.	संयुक्त सचिव	01	समूह 'क'	वेतन बैंड -4 37400-67000 रुपए+ ग्रेड वेतन 10000/- रुपए
2.	निदेशक (प्रशासन और वित्त)	01	समूह 'क'	वेतन बैंड -4 37400-67000 रुपए+ ग्रेड वेतन 8700/- रुपए
3.	निदेशक (तकनीकी)	01	समूह 'क'	वेतन बैंड -4 37400-67000 रुपए+ ग्रेड वेतन 8700/- रुपए
4.	अवर सचिव (प्रशासन और वित्त)	01	समूह 'क'	वेतन बैंड -3 15600-39100 रुपए+ ग्रेड वेतन 6600/- रुपए
5.	अवर सचिव (तकनीकी)	01	समूह 'क'	वेतन बैंड -3 15600-39100 रुपए+ ग्रेड वेतन 6600/- रुपए

IndiaCode

6.	उप निदेशक (विधिक)	01	समूह 'क'	वेतन बैंड -3 15600-39100 रुपए+ ग्रेड वेतन 6600/- रुपए
7.	उप निदेशक (विपणन और प्रत्यय)	01	समूह 'क'	वेतन बैंड -3 15600-39100 रुपए+ ग्रेड वेतन 6600/- रुपए
8.	प्रधान निजी सचिव	01	समूह 'क'	वेतन बैंड -3 15600-39100 रुपए+ ग्रेड वेतन 6600/- रुपए
9.	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन और वित्त)	01	समूह 'ख'	वेतन बैंड -2 9300-34800 रुपए+ ग्रेड वेतन 4600/- रुपए
10.	अनुभाग अधिकारी (तकनीकी)	01	समूह 'ख'	वेतन बैंड -2 9300-34800 रुपए+ ग्रेड वेतन 4600/- रुपए

अनुसूची – 2

भर्ती की पद्धति

IndiaCode

क्रम संख्या	पद का नाम	भर्ती की पद्धति	अर्हता या अनुभव	सीधी भर्ती के लिए आयु
1.	संयुक्त सचिव	केन्द्रीय कर्मचारिवृंद स्कीम	केन्द्रीय कर्मचारिवृंद स्कीम के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले अखिल भारतीय सेवाओं या केन्द्रीय सिविल सेवाओं का एक समूह 'क' अधिकारी	लागू नहीं होता
2.	निदेशक(प्रशासन और वित्त)	केन्द्रीय कर्मचारिवृंद स्कीम	केन्द्रीय कर्मचारिवृंद स्कीम के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले अखिल भारतीय सेवाओं या केन्द्रीय सिविल सेवाओं का एक समूह 'क' अधिकारी	लागू नहीं होता
3.	निदेशक (तकनीकी)	आमेलन या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	प्रोन्नति के लिए: प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति ऐसे अवर सचिव (तकनीकी) की श्रेणी से की जाएगी जिसने इस श्रेणी में आठ वर्ष की न्यूनतम नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति के लिए: (i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या केन्द्रीय तथा राज्य स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जो वेतन बैंड-3 +ग्रेड वेतन 8700 रुपए या समतुल्य के सुसंगत क्षेत्र में सदृश्य	

			पद धारण कर रहे हैं ; या (ii) 7600 रुपए के ग्रेड वेतन के सुसंगत क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या (iii) 6600 रुपए के ग्रेड वेतन या समतुल्य के सुसंगत क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव; और (iv) जिनके पास किसी सरकारी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी जीव विज्ञान(जिसके अंतर्गत कृषि भी है) में डिग्री हो। **सीधी भर्ती के लिए:** जिनके पास किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान (जिसके अंतर्गत कृषि भी है) में डिग्री हो और भांडागारण सेक्टर जिसके अंतर्गत शीतागार अवसंरचना भी है, में अधिकारी या प्रबंधक या समतुल्य के रूप में पंद्रह वर्ष का कार्य अनुभव।	50 वर्ष से अनधिक
4.	अवर सचिव (प्रशासन और वित्त)	आमेलन या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रोन्नति के लिए:** भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण में ऐसा अनुभाग अधिकारी (प्रशासन और वित्त) जिसने छह वर्ष की नियमित सेवा की है **प्रतिनियुक्ति के लिए:** (i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100रुपए +ग्रेड वेतन 5400 या समतुल्य वाले पदों पर नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की है और ; और (iii) जिनके पास किसी सरकारी मान्यताप्रापत विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री हो। **सीधी भर्ती के लिए:** (i) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री; और (ii) प्रशासन या वित्त या लेखा कर्म या बजट या सतर्कता या प्रबंध में एक अधिकारी के रूप में छह वर्ष का अनुभव	40 वर्ष से अनधिक

IndiaCode

5.	अवर सचिव (तकनीकी)	आमेलन या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रोन्नति के लिए:** भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण में ऐसा अनुभाग अधिकारी (तकनीकी) जिसने छह वर्ष की नियमित सेवा की है **प्रतिनियुक्ति के लिए:** (i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100रुपए +ग्रेड वेतन 5400 या समतुल्य वाले पदों पर नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की है और ; और (iii) जिनके पास मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान (जिसके अंतर्गत कृषि भी है) में डिग्री । **सीधी भर्ती के लिए:** (i) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री जीवविज्ञान (जिसके अंतर्गत कृषि भी है) में बीएससी ; और (ii) भांडागारण सेक्टर या पश्च फसल कटाई प्रबंधन या शीतागार अवसंरचना में अधिकारी या प्रबंधक या समतुल्य के रूप में छह वर्ष का अनुभव	40 वर्ष से अनधिक
6.	उप निदेशक (विधिक)	आमेलन या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रतिनियुक्ति के लिए:** (i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100रुपए +ग्रेड वेतन 5400 रुपए या समतुल्य वाले पदों पर नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की है; और (iii) जिनके पास मान्यताप्राप्त	

IndiaCode

			विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री है। **सीधी भर्ती के लिए:** (i) जिनके पास किसी सरकारी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री है; और (ii) विधिक विषयों संबंधी छह वर्ष का अनुभव	40 वर्ष से अनधिक
7.	उप निदेशक (विपणन और प्रत्यय)	आमेलन या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रतिनियुक्ति के लिए:** (i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100रुपए +ग्रेड वेतन 5400रुपए या समतुल्य वाले पदों पर नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की है और ; (iii) जिनके पास किसी सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक एमबीए की शैक्षिक अर्हता हो या प्रबंधन में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो जिसमें विपणन या वित्त में विशिष्टिकरण एक मुख्य विषय के रूप में रहा हो। (iv) विपणन और प्रत्यय में छह वर्ष का अनुभव **सीधी भर्ती के लिए:** (i) जिनके पास किसी सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक एमबीए की शैक्षिक अर्हता हो या प्रबंधन में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो जिसमें विपणन या वित्त में विशिष्टिकरण एक मुख्य विषय के रूप में रहा हो । (ii) विपणन या प्रत्यय में छह वर्ष का अनुभव हो	40 वर्ष से अनधिक
8.	प्रधान निजी सचिव	आमेलन या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रोन्नति के लिए:** भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण में ऐसा निजी सचिव जिसने दस वर्ष की नियमित सेवा की हो। **प्रतिनियुक्ति के लिए** : केन्द्रीय	

IndiaCode

			सरकार और राज्य सरकारों या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं ; (ii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों में ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड-2 में 5400 रुपए के ग्रेड वेतन में आशुलिपिक की पंक्ति में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की है ;और (iii) कंप्यूटर प्रचालन में प्रवीणता आवश्यक है और जो न्यूनतम 80 शब्द प्रतिमिनट की आशुलिपि गति और अंग्रेजी में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की या हिंदी में न्यूनतम 30 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति रखते हों। **सीधी भर्ती के लिए** (i) जिनके पास किसी सरकारी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री हो; और **(ii)जिसने** केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी संगठन या विख्यात प्राइवेट कंपनी में आशुलिपिक के रूप में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो (iii) कंप्यूटर प्रचालन में प्रवीणता आवश्यक है और जो न्यूनतम 80 शब्द प्रतिमिनट की आशुलिपि गति और अंग्रेजी में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की या हिंदी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखते हों।	40 वर्ष से अनधिक
9.	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन और वित्त)	आमेलन या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रोन्नति के लिए:** भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण में ऐसा सहायक या लेखाकार जिसने छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। **प्रतिनियुक्ति के लिए** : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने	

IndiaCode

			नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं ; (ii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों में ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड-2 +ग्रेड वेतन 4200 रुपए में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो ;और (iii) जिन्होंने मूल काडर में 4600 रुपए के ग्रेड वेतन या समतुल्य के साथ दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रशासन या वित्त, सतर्कता या बजट का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखते हों ; और (iv) जिनके पास किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री हो;और (v) कंप्यूटर प्रचालनों और टंकण में प्रवीणता **सीधी भर्ती के लिए** (i) जिनके पास किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री हो; और **(ii)** जिनके पास प्रशासन या वित्त या लेखाकर्म या बजट या सतर्कता या प्रबंध में पांच वर्ष का अनुभव हो; और **(iii)** कंप्यूटर प्रचालनों और टंकण में प्रवीणता	30 वर्ष से अनधिक
10.	अनुभाग अधिकारी (तकनीकी)	आमेलन या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रोन्नति के लिए:** भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण में ऐसा अन्वेषक या फील्ड अधिकारी जिसने दस वर्ष की नियमित सेवा की हो **प्रतिनियुक्ति के लिए**: (i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों में ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड-2 +ग्रेड वेतन 4200 रुपए में छह वर्ष	

IndiaCode

			की नियमित सेवा की हो ;या (iii) जिन्होंने मूल काडर में ग्रेड वेतन 4600 रुपए या समतुल्य में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (iv) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान (जिसके अंतर्गत कृषि भी है) में डिग्री है: और **(v)** कंप्यूटर प्रचालनों और टंकण में प्रवीणता हो **सीधी भर्ती के लिए:** किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीवविज्ञान (जिसके अंतर्गत कृषि भी है) में बीएससी; और (ii) भांडागारण सेक्टर या पश्च फसल कटाई प्रबंधन या शीतागार अवसंरचना में सहायक या समतुल्य के रूप में पांच वर्ष का अनुभव हो; (iii) कंप्यूटर प्रचालनों और टंकण में प्रवीणता	30 वर्ष से अनधिक

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक **या** पात्रता सेवा, अपेक्षित आर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी आर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन **या** विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष या सेवा निवृत्ति की आयु जो भी पहले हो से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची 3

चयन समिति या विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना

क्रम संख्या	पद का प्रवर्ग	चयन समिति
1.	समूह 'क'	1. प्राधिकरण का सदस्य जो अध्यक्ष भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किया जाए । 2. संयुक्त सचिव भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण । 3. एक निदेशक ।
2.	समूह 'ख' और 'ग'	1. संयुक्त सचिव, भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण । 2. निदेशक (प्रशासन और वित्त) । 3. निदेशक (तकनीकी) ।

चयन समिति में, जहां अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है वहां अध्यक्ष भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण समिति में उपयुक्त सदस्य नाम निर्दिष्ट करेगा और तकनीकी पदों के लिए अध्यक्ष भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण सुसंगत क्षेत्र से एक विशेषज्ञ सदस्य नामनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

चयन समिति अपनी सिफारिश अध्यक्ष भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी जो इस संबंध में अंतिम विनिश्चय करेगा ।

अनुसूची –4

कर्मचारिवृंद काडर

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या*	वर्गीकरण	वेतन बैंड +ग्रेड वेतन
1.	सहायक	01	समूह 'ख' अराजपत्रित	वेतन बैंड -2 9300-34800 रुपए+ ग्रेड वेतन 4200/- रुपए
2.	लेखाकार	01	समूह 'ख' अराजपत्रित	वेतन बैंड -2 9300-34800 रुपए+ ग्रेड वेतन 4200/- रुपए
3.	निजी सचिव	02	समूह 'ख' अराजपत्रित	वेतन बैंड -2 9300-34800 रुपए+ ग्रेड वेतन 4200/- रुपए
4.	अन्वेषक या क्षेत्रीय अधिकारी	03	समूह 'ग'	वेतन बैंड -1 5200-20200 रुपए+ ग्रेड वेतन 2800/- रुपए
5.	वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक	01	समूह 'ग'	वेतन बैंड -1 5200-20200 रुपए+ ग्रेड वेतन 2400/- रुपए
6.	चालक	01	समूह 'ग'	वेतन बैंड -1 5200-20200 रुपए+ ग्रेड वेतन 1900/- रुपए
7.	बहु कार्य कर्मचारिवृंद	02	समूह 'ग'	वेतन बैंड -1 5200-20200 रुपए+ ग्रेड वेतन 1800/- रुपए

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

अनुसूची -5

भर्ती की पद्धति

क्रम संख्या	पद का नाम	भर्ती की पद्धति	अर्हता या अनुभव	सीधी भर्ती के लिए आयु
1.	सहायक	आमेलन या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रतिनियुक्ति के लिए**: (i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने सदृश्य पद धारण किए हुए हैं ; या (ii केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य	

IndiaCode

			पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने मूल काडर में ग्रेड वेतन 2400 रुपए या समतुल्य वाले वेतन बैंड-2 में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रशासन या वित्त या सतर्कता या बजट में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखता हो और ; और (iii) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री रखता हो। (iv) कंप्यूटर प्रचालनों और टंकण में प्रवीणता **सीधी भर्ती के लिए:** (i) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री; और साथ ही सरकारी सेवा या किसी विख्यात कंपनी में दो वर्ष का अनुभव हो ;और (ii) कंप्यूटर प्रचालनों और टंकण में प्रवीणता हो	30 वर्ष से अनधिक
2.	लेखाकार	आमेलन या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रतिनियुक्ति के लिए**: (i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने सदृश्य पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने मूल काडर में ग्रेड वेतन 2400 रुपए या समतुल्य वाले वेतन बैंड-2 में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और साथ ही प्रशासन या वित्त या सतर्कता या बजट में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखता हो और ; और (iii) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री रखता हो। (iv) कंप्यूटर प्रचालनों और टंकण में प्रवीणता हो **वांछनीय**: सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध या संस्थान या समतुल्य में रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण लिया हो ।	

			सीधी भर्ती के लिए: (i) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री रखता हो; (ii) सरकारी कार्यालय में लेखाओं का एक वर्ष का अनुभव या किसी विख्यात प्राइवेट संगठन में लेखा संभालने का तीन वर्ष का अनुभव रखता हो ;और (iii) कंप्यूटर प्रचालनों और टंकण में प्रवीणता रखता हो	30 वर्ष से अनधिक
3	निजी सचिव	आमेलन या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रोन्नति के लिए:** भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण में ऐसा वैयक्तिक सहायक जिसने दस वर्ष की सेवा की हो। **प्रतिनियुक्ति के लिए** : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं ; (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों में ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन 2400 रुपए वाले वेतन बैंड-2 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है ;और (iii) कंप्यूटर प्रचालन में प्रवीणता आवश्यक है और जो न्यूनतम 80 शब्द प्रतिमिनट की आशुलिपि गति और अंग्रेजी में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की या हिंदी में न्यूनतम 30 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति रखते हों। **सीधी भर्ती के लिए:** (i) किसी सरकारी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री रखता हो; (ii) केन्द्रीय या राज्य सरकारी कार्यालय में लेखाओं का एक वर्ष का अनुभव या किसी विख्यात प्राइवेट संगठन में आशुलिपि के रूप में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (iii) कंप्यूटर प्रचालन में प्रवीणता आवश्यक है और जो न्यूनतम 80 शब्द प्रतिमिनट की आशुलिपि गति और अंग्रेजी में न्यूनतम 35 शब्द	30 वर्ष से अनधिक

IndiaCode

			प्रति मिनट की या हिंदी में न्यूनतम 30 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति रखते हों।	
4.	अन्वेषक या क्षेत्र अधिकारी	आमेलन या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रतिनियुक्ति के लिए** : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने सदृश्य पद धारण किए हुए हैं ; (ii) जिन्होंने ग्रेड वेतन 2400 या समतुल्य या उससे अधिक के वेतन बैंड 1 में दो वर्ष की नियमित सेवा की है ;और (iii) जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से विज्ञान विधा से उत्तीर्ण इंटरमीडिएट या 10+2 की शैक्षिक अर्हता हो ;और (iv) कंप्यूटर प्रचालनों और टंकण में प्रवीणता **सीधी भर्ती के लिए** (i) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री हो; और **(ii)** भांडागार सेक्टर या पश्च फसल कटाई प्रबंध या शीतागार अवसंरचना में तीन वर्ष का अनुभव कंप्यूटर प्रचालनों और टंकण में प्रवीणता रखता हो	18 से 25 वर्ष के बीच
5.	वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक	आमेलन या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रतिनियुक्ति के लिए** : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों में ऐसे अधिकारी जिन्होंने आशुलिपि पंक्ति सदृश्य पद धारण किए हुए हैं ; (ii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के अधिकारियों में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक या समतुल्य अधिकारी जिन्हें आशुलिपि का ज्ञान है और जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा की है ;और (iii) जो न्यूनतम 80 शब्द प्रतिमिनट की आशुलिपि गति और अंग्रेजी में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की या हिंदी में न्यूनतम 30 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति रखते हों।	

IndiaCode

			सीधी भर्ती के लिए: (i) जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण किया है ;और (ii) कंप्यूटर प्रचालनों में प्रवीणता आवश्यक है और जो न्यूनतम 80 शब्द प्रतिमिनट की आशुलिपि गति और अंग्रेजी में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की या हिंदी में न्यूनतम 30 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति रखते हों। (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों या निजी विख्यात संगठन में वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक या डाटा प्रविष्टि प्रचालक के रूप में कम से कम एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव।	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच
6.	चालक	आमेलन या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रतिनियुक्ति के लिए :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त संगठन या कानूनी निकायों में सदृश्य पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास चालन का तीन वर्ष का अनुभव हो **सीधी भर्ती के लिए** मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण की हो और पढ़ने में समर्थ होना चाहिए तथा किसी मान्यताप्राप्त संस्था से चालन अनुज्ञप्ति रखतो हो और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव रखता हो ।	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच
7.	बहु कार्य कर्मचारिवृंद	आमेलन या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रतिनियुक्ति के लिए :** केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों या स्वायत्त या कानूनी निकायों में सदृश्य पद धारण करने वाले व्यक्ति। **सीधी भर्ती के लिए :--** मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण की हो और अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में समर्थ होना चाहिए। **वांछनीय:** कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान रखता हो।	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो,

कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन **या** विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष या सेवा निवृत्ति की आयु जो भी पहले हो से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची- 6

चिकित्सा सुविधाएं:

1. बहिरंग चिकित्सा व्यय:

(i) प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी स्वयं और कुटुंब के घोषित सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन के लिए, "कुटुंब" पद का वही अर्थ है जो उसका केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में है ।

(ii) विशिष्ट कैलेंडर वर्ष के दौरान उपचार से संबंधित बहिरंग चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति सुसंगत वर्ष (मूल वेतन +महंगाई भत्ता) की 1 जनवरी को वास्तविक व्यय या एक मास के वेतन, जो भी कम हो, तक सीमित होगी ।

(iii) वर्ष के दौरान एक जनवरी को वेतन वृद्धि का जारी किया जाने या प्रोन्नति का इस सीमा पर कोई प्रभाव नहीं होगा और वर्ष के दौरान कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों के लिए वार्षिक हकदारी आनुपातिक दर पर निर्बंधित की जाएगी ।

(iv) दावा रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सक का नुस्खा और डाक्टर द्वारा उपचार तथा ओषधियों के क्रय मूल रोकड़ मेमो या बिलों द्वारा समर्थित होना चाहिए ।

(v) बहिरंग उपचार प्राधिकरण द्वारा रखे जाने वाले पैनल से प्राधिकृत चिकित्सा परिचारकों से लिया जाएगा ।

2. अंतरंग उपचार

(i) अतरंग उपचार के लिए प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए हकदार होंगे और इस प्रयोजन के लिए उपचार का खर्च जिसके अंतर्गत अस्पताल, आवास, नर्सिंग, गृह सुविधा आदि भी हैं, समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यथा-लागू केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(ii) खंड (i) के लिए प्राधिकृत अस्पताल वे होंगे जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 द्वारा विनियमित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं ।

(iii) प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार, आपातकालीन के सिवाय प्राधिकृत चिकित्सा परिचारकों की सलाह पर लिया जा सकेगा ।

[फा. सं. डल्ल्यू डीआरए/8/एंडएफ/2011]

रणवीर सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

(WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14 July, 2016

G.S.R. 694(E).— In exercise of the powers conferred by section 33 read with clause (g) of sub-section (2) of 51 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007(37 of 2007), the Warehousing Development and Regulatory Authority, with the previous approval of the Central Government and in consultation with the Warehousing Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely :–

Chapter-I

Preliminary

1. Short title and commencement- (1) These regulations may be called the Warehousing Development and Regulatory Authority (Conditions of service of the Officers and other Employees) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application – These regulations shall apply to every whole time officer and other employee of the Authority:

Provided that these regulations shall not apply to persons employed temporarily, (other than probationers), or on contract basis, except otherwise specifically provided.

3. Definitions- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007);

(b) "Authority" means Warehousing Development and Regulatory Authority;

(c) "Appointing Authority" means any Authority declared as such by the Authority;

(d) "Cadre" means the group of posts in the officers grade and employees grade specified in Schedule – I and IV;

(e) "Employee" means Group 'B' and Group 'C' staff specified in Schedule-IV;

(f) "Officer" means Group 'A' and Group 'B' officers specified in Schedule-I;

(g) "Pay" means the amount drawn by an officer and other employee as-

(i) pay which had been sanctioned for a post held by him substantively or in an officiating capacity, or to which he is entitled by reason of his position in a cadre;

(ii) "special pay and personal pay";

(iii) "any other emoluments which may be specially classified" as pay by the Authority;

(h) "Personal pay" means an additional pay granted to an officer and other employee-

(i) to save him from a loss of substantive pay in respect of a permanent post due to a revision of pay or to any reduction of such substantive pay otherwise than as a disciplinary measure; or

(ii) in exceptional circumstances, on other personal considerations;

(i) "Schedule" means schedules annexed to these regulations;

(j) "Selection Committee" means any Committee declared as such by the Authority;

(k) "Service" includes the period during which an officer and other employee is on duty as well as on leave duly authorised by the competent authority, but does not include any period during which an officer and other employee is absent from duty without permission or overstays his leave, unless specifically permitted or condoned by the Competent Authority;

(l) "Special pay" means an addition, in the nature of pay, to the emoluments of a post or of an officer and other employee granted at the discretion of the Authority in consideration of a specific addition to the work or responsibility;

(m) "Substantive pay" means the pay to which an officer and other employee is entitled on account of a post to which he has been appointed substantively or by reasons of his substantive position in a cadre.

(2) The words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act or Rules made thereunder, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or the Rules.

IndiaCode

Chapter-II

Salary and Allowances of the Officers of the Authority

4. The salary and allowance of the Officers of the Authority and the number of such officers shall be as specified in Schedule-I.

5. Constitution of Officers cadre - (1) The Officers cadre shall consists of

(a) any person who immediately before the constitution of this cadre was holding any post of an officer as listed in **Schedule-I**, on deputation or on adhoc appointment basis, and is regularised.

(b) any person appointed to a post under **regulations** 7.

(2) Any person appointed under **clause (a) of sub-regulation (1)** shall on such appointment be deemed to be a Member of the cadre in the appropriate grade applicable to him from the date of his initial appointment with the Authority.

(3) On the commencement of these regulations the posts in the Officers' cadre shall be as specified in Schedule-I.

(4) The pay, on appointment in Warehousing Development and Regulatory Authority under the provisions above, shall normally be fixed at the minimum of the scale and the Authority may, however, fix it at a higher point in the scale keeping in view the seniority, pay already being drawn and suitability of the candidate.

6. Initial Constitution of the Officers cadre- All persons appointed on regular basis and holding the post as specified in Schedule-I on the date of commencement of the Warehousing Development and Regulatory Authority (Conditions of Service of the Officers and Other Employees) Regulations, 2016 shall be deemed to have been appointed under these regulations and the services rendered by him in the said post before the said commencement shall be taken into account as regular service for deciding the eligibility for promotion and the like to the next higher grade.

7. Method of Recruitment- (1) After initial formation of the Officers cadre, if any vacancy arises in any of the grades specified in Schedule-I of sub-regulation (3) of regulation 5 or if a new post is created in any of the grades, the same shall be filled up in the manner specified in Schedule-II.

(2) Selection in each case under sub-regulation (1) of regulation 7 shall be on the recommendation of the Selection Committee as specified in Schedule III.

8. Procedure for direct recruitment - The selection of candidate for appointment to various posts which are to be filled up by direct recruitment shall be made in the following manner, namely:-

(a) the vacancies which are to be filled up shall be advertised at least in two leading national dailies and the Employment News.

(b) applications which are not received by the last date mentioned in the advertisement or which are from candidates who do not satisfy the conditions laid down shall not be entertained.

(c) from the remaining applications, the Selection Committee shall shortlist the candidates who are to be called for an interview or written test or both, as the authority considers fit, provided that the Appointing Authority may choose to call all candidates for interview or written test or both and, no interview shall be held for Group 'B' posts and instructions issued by Department of Personal and Training to this effect shall be followed.

(d) final selection of the candidate(s) shall be made by the Appointing Authority on the basis of combined evaluation of the candidate's performance in interview or written test or both, as the case may be and his qualification or job experience.

(e) the Appointing Authority, in its discretion, may maintain a panel of names of suitable candidates who may be offered employment against future vacancies in the concerned posts and any such panel of names, if prepared and maintained, shall remain valid for a period not exceeding twelve months from the date of its approval.

9. Saving clause - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

10. Qualifications and age limit - Minimum qualifications and age limit for appointment to cadre by direct recruitment shall be as specified in Schedule-II.

11. Procedure for Promotion- (1) Appointment by promotion shall be made from the lower grade as specified in Schedule-II.

(2) The relative seniority of members of the cadre appointed to any grade at the time of initial formation of the cadre shall be fixed by the Authority and unless decided otherwise on account of special reasons be governed by their relative seniority obtaining on the date of commencement of these regulations.

(3) All officers included in the initial formation of the cadre in any grade shall rank senior to all officers appointed to that grade subsequently unless an officer is appointed to a grade giving him specially a certain seniority in that grade.

(4) The seniority of an officer not covered by the above provisions shall be determined by the Appointing Authority.

12. Medical Examination - No candidate who, after such medical examination as the Authority may prescribe, is not found to be in good mental or bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with the discharge of the duties of the service shall be appointed to the post and the fact that a candidate has been physically examined shall not mean or imply that he shall be considered for appointment.

Chapter-III

Salary and allowances of the employees of the Authority

13. The salary and allowance of the employees of the Authority and the number of such employees shall be as specified in Schedule-IV.

14. Constitution of Staff Cadre- (1) The Staff cadre shall consists of

(a) any person who immediately before the constitution of this cadre was holding any post as staff as listed in Schedule-IV on deputation or on ad-hoc appointment basis, and is regularised.

(b) any person appointed to a post under regulation 16.

(2) Any person appointed under clause (a) of sub regulation (1) above shall on such appointment be deemed to be a Member of the cadre in the appropriate grade applicable to him from the date of his initial appointment with the Authority.

(3) On the commencement of these regulations the posts in the staff cadre shall be as specified in Schedule-IV.

(4) The pay, on appointment in Warehousing Development and Regulatory Authority under the provisions above, shall normally be fixed at the minimum of the scale and the Authority may, however, fix it at a higher point in the scale keeping in view the seniority, pay already being drawn and suitability of the candidate.

15. Initial Constitution of the Staff cadre- All persons appointed on regular basis and holding the post as specified in Schedule-IV on the date of commencement of the Warehousing Development and Regulatory Authority (Conditions of Service of the Officers and Other Employees) Regulations, 2016 shall be deemed to have been appointed under these regulations and the services rendered by him in the said post before the said commencement shall be taken into account as regular service for deciding the eligibility for promotion and the like to the next higher grade.

16. Methods of Recruitment – (1) After initial formation of the staff cadre, if any vacancy arises in any of the grades specified in regulation 14 of Chapter-III or if a new post is created in any of the grade, the same shall be filled up in the manner specified in Schedule-V.

(2) Selection in each case under sub-regulation (1) shall be on the recommendation of the Selection Committee as specified in Schedule III.

17. Procedure for direct recruitment- Selection of candidate for appointment to various posts which are to be filled up by direct recruitment shall be made in the following manner, namely:-

(a) The vacancies which are to be filled up shall be advertised atleast in two leading national dailies and the Employment News.

(b) Applications which are not received by the last date mentioned in the advertisement or which are from candidates who do not satisfy the conditions laid down shall not be entertained.

(c) From the remaining applications, the Selection Committee shall shortlist the candidates who are to be called for written test, provided that the Appointing Authority may choose to call all candidates for written test and no interview shall be held for Group 'B' and 'C' posts and instructions issued by Department of Personal and Training to this effect shall be followed.

(d) Final selection of the candidate(s) shall be made by the Appointing Authority on the basis of combined evaluation of the candidate's performance in the written test and his qualifications or job experience.

(e) The Appointing Authority, in its discretion, may maintain a panel of names of suitable candidates who may be offered employment against future vacancies in the concerned post and any such panel of names, if prepared and maintained, shall remain valid for a period not exceeding twelve months from the date of its approval.

18. Saving clause- Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

19. Qualifications and age limit- Minimum qualifications and age limit for appointment to cadre by direct recruitment shall be as specified in Schedule-V.

20. Procedure for Promotion- (1) Appointment by promotion shall be made from the lower grade as specified in Schedule-V.

(2) The relative seniority of members of the cadre appointed to any grade at the time of initial formation of the cadre shall be fixed by the Authority and unless decided otherwise on account of special reasons be governed by their relative seniority obtaining on the date of commencement of these regulations.

(3) All staff included in the initial formation of the cadre in any grade shall rank senior to all staff appointed to that grade subsequently unless the staff is appointed to a grade giving him specially a certain seniority in that grade.

(4) The seniority of the staff not covered by the above provisions shall be determined by the Appointing Authority.

21. Medical Examination- No candidate who, after such medical examination as the Authority may prescribe, is not found to be in good mental or bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with the discharge of the duties of the service shall be appointed to the post and the fact that a candidate has been physically examined shall not mean or imply that he shall be considered for appointment.

Chapter - IV

Miscellaneous

22. Probation- There shall be a probation period of two years for candidates appointed through direct recruitment process and a fresh recruit shall be confirmed only after he has completed the period of probation and during the period his services and conduct has been found by the Authority to be satisfactory and in the event that the service and conduct of any employee are not found to be satisfactory, during the probation period, the probation period may be extended at the discretion of the Authority to provide the employee an opportunity to improve and if the service and conduct of any employee are not found to be satisfactory at the end of the probation period or extended probation period, his services may be terminated.

23. Liability for service in or outside India- An officer or staff member appointed to the cadre shall be liable to serve anywhere in India or outside India.

24. Upgradation or Downgradation- Considering that promotional avenues in the small cadre of Warehousing Development and Regulatory Authority may be limited, the Authority may consider grant of next higher grade to the officer or staff member while he continues to hold a particular post and responsibility and similarly at any given time an officer belonging to a higher grade in the cadre may in the exigency of service continue to hold a post and discharge responsibilities relating to a post in the immediately lower grade.

25. Pay fixation- The pay of an officer or staff member in a particular grade shall be fixed by the Authority.

26. Nationality- A candidate must be a citizen of India or he must belong to such categories of persons as may from time to time be notified by the Government.

27. Disqualification(s)- No person –

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post under the Authority,

Provided that the Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any such person from the operation of these regulations.

28. Power to relax- Where the Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

29. Interpretation- If any queries relating to implementation of these regulations arise, they shall be decided by the Authority.

30. Removal of difficulties- The Authority may from time to time issue such general or specific directions as may be necessary to remove difficulties in the operation of any of the provisions of these regulations.

31. Conditions of service- (1) The conditions of service of the Officers and employees of the Authority in the matter of joining time, joining time pay, leave, leave travel concession, age of superannuation, increment payable etc. and other conditions of service including CCS (conduct) Rules 1964, CCS (CCA) Rules 1965 shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are applicable to the Officers and employees of the similar grade in Central Government.

(2) The Officers and employees of the Authority on deputation to the Authority who are Government employees and have been allotted residential accommodation under General Pool shall be eligible to retain the facility of Government residential accommodation in terms of Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Directorate of Estates, OM No.12035/14/92-Pol.II dated 11th October, 2000, as amended from time to time; and in case Government residential accommodation has not been allotted or availed, the deputationists as well as the other Officers and staff shall be eligible for House Rent Allowance at par with the House Rent Allowance drawn by other Central Government Officers and employees drawing equivalent pay.

(3) Travelling and daily allowances applicable to Officers and employees on domestic tour shall be the same as those applicable to the Officers and employees of the similar grade in Central Government.

(4) The Officers and employees of the Authority shall be entitled to medical facilities as specified in Schedule –VI.

(5) The Officers and employees of the authority, appointed on deputation, shall continue to be governed by Provident Fund Scheme or New Pension System as are applicable to them in their parent Ministry or Department or Organisation.

The Authority shall recover contribution towards the scheme or New Pension System, as applicable, from such Officers and employees and remit the amount along with matching contribution, if any, immediately to the lending Ministry or Department or Organisation.

Any loss of interest on account of the late remittance shall be borne by the Authority.

(6) The Officers and employees of the Authority other than those on deputation shall be entitled to the Group Insurance scheme to be formulated by the Authority in consultation with the Central Government;

Provided that the Officers and employees of the Authority appointed on deputation shall continue to be governed by the Group Insurance Schemes as applicable to them in their parent Ministry or Department or Organisation.

The Authority shall recover contribution towards the Insurance Schemes from such Officers and employees, and remit the amount immediately to the lending Ministry or Department or Organisation.

Any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Authority.

(7) The Officers and employees of the Authority who are on deputation shall be eligible for pension and retirement benefits, if any, as are available to them in their parent Ministry or Department or Organisation.

32. Official visits abroad- (1) Official visits abroad by Officer of the Authority shall be undertaken with the prior approval of the Chairperson of the Authority or any other Member or Officer of the Authority authorised by the Chairperson.

(2) Instructions issued by Government of India including Ministry of Finance and Department of Personnel and Training, as amended from time to time, shall be applicable.

33. Deputation allowance - The persons selected on deputation shall be given an option to either opt for the pay scale and other service benefits of the borrowing organisation or to retain their own pay scales and get deputation allowance, as per the existing instructions of the Government of India on the subject.

34. Residuary Provision(s) – (1) The guidelines or instructions issued by Department of Personnel and Training from time to time on matters in these regulations shall be followed.

(2) All allowances and other benefits, including children education allowance with respect to which no express provision has been made in these regulations, which are applicable to the Central Government employees, shall also apply to the Officers and employees of the Authority.

(3) Matters relating to the terms and conditions of service of the Officers and employees of the Authority not covered in these regulations shall be referred by the Authority to the Central Government for its decision.

Schedule-I

Officers Cadre

Sl. No.	Name of Post	No. of Post(s)	Classification	Pay Band with Grade Pay
1	Joint Secretary	01	Group 'A'	Pay Band-4 Rs.37400 -67000 + Grade Pay Rs.10000/-
2	Director (Administration and Finance)	01	Group 'A'	Pay Band -4 Rs.37400 -67000 + Grade Pay Rs.8700/-
3	Director (Technical)	01	Group 'A'	Pay Band -4 Rs.37400-67000 + Grade Pay Rs.8700/-
4	Under Secretary (Administration and Finance)	01	Group 'A'	Pay Band -3 Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.6600/-
5	Under Secretary (Technical)	01	Group 'A'	Pay Band -3 Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.6600/-
6	Deputy Director (Legal)	01	Group 'A'	Pay Band -3 Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.6600/-
7	Deputy Director (Marketing and Credit)	01	Group 'A'	Pay Band -3 Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.6600/-
8	Principal Private Secretary	01	Group 'A'	Pay Band -3 Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.6600/-
9	Section Officer (Administration and Finance)	01	Group 'B'	Pay Band -2 Rs.9300-34800 + Grade Pay Rs.4600/-
10	Section Officer (Technical)	01	Group 'B'	Pay Band -2 Rs.9300-34800 + Grade Pay Rs.4600/-

IndiaCode

Schedule-II

Methods of Recruitment

Sl. No.	Name of the post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age for direct recruitment
1	Joint Secretary	Central Staffing Scheme	Group 'A' officer of All India Services or Central Civil Services to be nominated by the Department of Personnel and Training under Central Staffing Scheme.	Not applicable
2	Director (Administration and Finance)	Central Staffing Scheme	Group 'A' officer of All India Services or Central Civil Services to be nominated by the Department of Personnel and Training under Central Staffing Scheme.	Not applicable
3.	Director (Technical)	**Absorption or Promotion or Deputation or Direct recruitment**	**For promotion:** Appointment by promotion shall be made from the grade of Under Secretary (Technical) with minimum eight year of regular service in this grade. **For deputation:** (i) Officers of Central and State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Central and State autonomous or statutory bodies holding analogous posts in the relevant field in the Pay Band-3 with Grade Pay of Rs. 8700/- or equivalent; or (ii) 05 years of experience in the relevant field in the Grade Pay of Rs.7600/-; or	Not exceeding 50 years

Sl. No.	Name of the post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age for direct recruitment
			(iii) 10 years of experience in relevant field in the Grade pay of Rs.6600/- or equivalent; and (iv) Possessing degree in any Biological Sciences (including Agriculture) from a Government recognised University. **For direct recruitment:** Possessing degree in any Biological Sciences (including Agriculture) from a Government recognised University and fifteen years of work experience as an officer or Manager or equivalent in warehousing sector including Cold chain infrastructure.	
4.	Under Secretary (Administration and Finance)	**Absorption or Promotion or Deputation or Direct recruitment**	**For promotion** : Section Officer (Administration and Finance) in Warehousing Development and Regulatory Authority with six year of regular service. **For deputation**: (i) Officers of Central and State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory bodies holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) With five year service on regular basis in posts in Pay Band-3, Rs. 15600 - Rs. 39100 + Grade Pay of Rs. 5400/- or equivalent in the parent cadre or Department; and (iii) Possessing a degree from a Government recognised University or Institute. **For direct recruitment:** (i) Degree from a Government recognised University; and (ii) Six years of experience as an Officer in Administration or Finance or Accountancy or Budget or Vigilance or Management.	Not exceeding 40 years
5.	Under Secretary (Technical)	**Absorption or Promotion or Deputation or Direct recruitment**	**For Promotion**: Section Officer (Technical) in Warehousing Development and Regulatory Authority with six years of regular service. **For deputation**: (i) Officers of the Central or State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory bodies holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) With five years of service on regular basis in posts in Pay Band-3, Rs.15600- Rs. 39100 + Grade Pay of Rs. 5400/- or equivalent in the Parent cadre or Department; and	Not exceeding 40 years

Sl. No.	Name of the post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age for direct recruitment
			(iii) Possessing degree in any Biological Sciences (including Agriculture) from a Government recognised University. **For direct recruitment:** (i) B.Sc. in any Biological Sciences (including Agriculture) from a Government recognised University; and (ii) Six years experience as an Officer or Manager or equivalent in warehousing sector or Post Harvest Management or Cold Chain infrastructure.	
6.	Deputy Director (Legal)	**Absorption or Deputation or Direct recruitment**	**For deputation**: (i) Officers of the Central or State Government or Central or State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory bodies holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) With five year service of on regular basis in posts in Pay Band-3, Rs. 15600- Rs. 39100 + Grade Pay of Rs. 5400/- or equivalent in the parent cadre or Department; and (iii) Possessing a degree in law from a Government recognised University or Institute. **For direct recruitment:** (i) Possessing degree in law from a recognised University; and (ii) Six years experience of having dealt with legal matters.	Not exceeding 40 years
7.	Deputy Director (Marketing and Credit)	**Absorption or Deputation or Direct recruitment**	**For deputation**: (i) Officers of the Central or State Government or Central or State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory bodies holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) With five years service on regular basis in posts in Pay Band-3, Rs. 15600 - 39100 + Grade Pay of Rs. 5400/- or equivalent in the parent cadre or Department; and (iii) Possessing educational qualification of full time MBA or two years Post Graduate Diploma in Management with specialisation in Marketing or Finance as major subject, from the Government recognised Institute or University; and (iv) Six Years experience in Marketing and Credit.	Not exceeding 40 years

IndiaCode

Sl. No.	Name of the post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age for direct recruitment
			For direct recruitment: (i) Possessing educational qualification of full time MBA or two years Post Graduate Diploma in Management with specialisation in Marketing or Finance as major subject, from the Government recognised Institute or University; and (ii) Six years experience in Marketing or Credit.	
8.	Principal Private Secretary	**Absorption or Promotion or Deputation or Direct recruitment**	**For promotion:** (i) Private Secretary in Warehousing Development and Regulatory Authority with ten years of regular service. **For deputation:** (i) Officers of Central and State Governments or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies holding analogous posts; or (ii) Officials in Central or State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies with five years of regular service in Stenography line with Grade pay of Rs. 5400/- in Pay Band -2; and (iii) Proficiency in Computer operations is essential and possessing stenography speed of a minimum of 80 words per minute and a minimum typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi. **For direct recruitment:** (i) Degree from a Government recognised University; and (ii) Six year regular service as Stenographer in Central or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous, statutory organisation or reputed private company; and (iii) Proficiency in Computer operations is essential and possessing stenography speed of a minimum of 80 words per minute and a minimum typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi	Not exceeding 40 years
9.	Section Officer (Administration & Finance)	**Absorption or Promotion or Deputation or Direct recruitment**	**For promotion** : Assistant or Accountant or in Warehousing Development and Regulatory Authority with six years of regular service. **For deputation:** (i) Officers of Central and State Governments or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies holding analogous posts; or	Not exceeding 30 years

Sl. No.	Name of the post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age for direct recruitment
			(ii) Officers in Central or State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies with six years of regular service in the Pay Band-2 with Grade pay of Rs. 4200/; or (iii) Two year of regular service with Grade Pay of Rs. 4600/- or equivalent in the parent cadre with at least three years experience in Administration or Finance or Vigilance or Budget; and (iv) Possessing degree from a Government recognised University; and (v) Proficiency in computer operations and typing. **For direct recruitment:** (i) Degree from a Government recognised University; and (ii) Five years experience in Administration or Finance or Accountancy or Budget or Vigilance or Management; and (iii) Proficiency in computer operations and typing.	
10.	Section Officer (Technical)	**Absorption or Promotion or Deputation or Direct recruitment**	**For promotion**: Investigator or Field Officer in Warehousing Development and Regulatory Authority with ten years of regular service. **For deputation:** (i) Officers of Central and State Governments or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies holding analogous posts; or (ii) Officers in Central or State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies with six years of regular service in the Pay Band-2 with Grade pay of Rs. 4200/; or (iii) Two years of regular service with Grade Pay of Rs. 4600/- or equivalent in the parent cadre: and (iv) Possessing degree in any Biological Sciences (including Agriculture) from a recognised University; and (v) Proficiency in computer operations and typing.	Not exceeding 30 years

Sl. No.	Name of the post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age for direct recruitment
			For direct recruitment: (i) B.Sc. in any Biological Sciences (including Agriculture) from a Government Recognised University; and (ii) Five years experience as an Assistant or equivalent in Warehousing sector or Post Harvest Management or Cold Chain infrastructure; and (iii) Proficiency in computer operations and typing.	

Note-I

Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note-II

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note-III

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years or the age of superannuation whichever is earlier.

Note-IV

The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

Schedule III

Composition of the Selection Committee or Departmental promotion Committee (DPC)

Sl. No.	Category of Post	Selection Committee
1.	Group 'A'	I. Member of the authority to be nominated by the Chairperson, Warehousing Development and Regulatory Authority. II. Joint Secretary, Warehousing Development and Regulatory Authority. III. One Director
2.	Group 'B'& 'C'	I. Joint Secretary, Warehousing Development and Regulatory Authority II. Director (Administration and Finance) III. Director (Technical)

In Selection Committee where representative of SC or ST or Minority community is required, the Chairperson, Warehousing Development and Regulatory Authority shall nominate a suitable Member on the Committee and for Technical posts, the Chairperson, Warehousing Development and Regulatory Authority may nominate an expert Member from the relevant field.

The Selection Committee shall put up their recommendation to the Chairperson, Warehousing Development and Regulatory Authority of who shall take a final decision in this regard.

Schedule-IV

Staff Cadre

Sl. No.	Name of Post	No. of Post *	Classification	Pay Band with Grade Pay
1.	Assistant	01	Group 'B' Non Gazetted	Pay Band-2 Rs.9300-34800 + Grade Pay Rs.4200/-
2.	Accountant	01	Group 'B' Non Gazetted	Pay Band -2 Rs.9300-34800 + Grade Pay Rs.4200/-
3.	Private Secretary	02	Group 'B' Non Gazetted	Pay Band -2 Rs.9300-34800 + Grade Pay Rs.4200/-
4.	Investigator or Field Officer	03	Group 'C'	Pay Band -1 Rs.5200-20200 + Grade Pay Rs.2800/-
5.	Personal Assistant or Steno	01	Group 'C'	Pay Band -1 Rs.5200-20200 + Grade Pay Rs.2400/-
6.	Driver	01	Group 'C'	Pay Band -1 Rs.5200-20200 + Grade Pay Rs.1900/-
7.	Multitasking Staff	02	Group 'C'	Pay Band -1 Rs.5200-20200 + Grade Pay Rs.1800/-

***** Subject to variation dependent on work load.

Schedule-V

Methods of Recruitment

Sl. No.	Name of the post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age limit for direct recruit
1.	Assistant	**Absorption or Deputation or Direct recruitment**	**For deputation:** (i) Officers of Central and State Governments or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies holding analogous posts; or (ii) Officers in Central or State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies with six years of regular service in the Pay Band-2 with Grade pay of Rs. 2400/-; or equivalent in the parent cadre with at least three years experience in Administration or Finance or Vigilance or Budget; and (iii) Possessing degree from a Government recognised University; and (iv) Proficiency in computer operations and typing. **For direct recruitment:** (i) Degree from a Government Recognized University with two years of work experience in a Government service or a reputed private company; and (ii) Proficiency in computer operations and typing.	Not exceeding 30 years

Sl. No.	Name of the post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age limit for direct recruit
2.	Accountant	**Absorption or Deputation or Direct recruitment**	**For deputation:** (i) Officers of Central and State Governments or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies holding analogous posts; or (ii) Officers in Central or State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies with six years of regular service in the Pay Band-2 with Grade pay of Rs. 2400/-; or equivalent in the parent cadre with at least three years experience in Administration or Finance or Vigilance or Budget; and (iii) Possessing degree from a Government recognised University: and (iv) Proficiency in computer operations and typing. **Desirable:** Having undergone training in Cash and Accounts in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent. **For direct recruitment:** (i) Degree from a Government Recognised University; and (ii) One year experience of accounts in a Government office or three years experience of handling accounts in a reputed private organisation; and (iii) Proficiency in computer operations and typing.	Not exceeding 30 years
3.	Private Secretary	**Absorption or Promotion or Deputation or Direct recruitment**	**For promotion**: Personal Assistant or Steno in Warehousing Development and Regulatory Authority with ten year of service. **For deputation:** (i) Officers of Central or State Governments or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies holding analogous posts; or	Not exceeding 30 years

IndiaCode

Sl. No.	Name of the post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age limit for direct recruit
			(ii) Officials in Central or State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies with five years of regular service in the Pay Band-2 with Grade pay of Rs. 2400/-; and (iii) Proficiency in Computer operations is essential and possessing stenography speed of a minimum of 80 words per minute and a minimum typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi. **For direct recruitment:** (i) Degree from a Government Recognised University; and (ii) Five years service as Stenographer in Central or State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies or private reputed organisation; and (iii) Proficiency in Computer operations is essential and possessing stenography speed of a minimum of 80 words per minute and a minimum typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi.	
4.	Investigator or Field Officer	**Absorption or Deputation or Direct recruitment**	**For deputation:** (i) Officers of Central or State Governments or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies holding analogous posts; or (ii) Two years of regular service in the Pay Band-1 with Grade pay of Rs. 2400/- or equivalent or above; and (iii) Possessing educational qualification of Intermediate or 10+2 passed from Science Stream from a recognised University or Board; and; (iv) Proficiency in Computer operations and typing. **For direct recruitment:** (i) Degree from a Government Recognised University; and (ii) Three years work experience in Warehousing sector or Post Harvest Management or Cold Chain infrastructure; and (iii) Proficiency in computer operations and typing.	Between 18 and 25 years

Sl. No.	Name of the post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age limit for direct recruit
5.	Personal Assistant or Steno	**Absorption or Deputation or Direct recruitment**	**For deputation**: (i) Officers of Central or State Governments or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies holding analogous posts in the Stenography Line; or (ii) Lower Division Clerks or equivalent officers knowing Short hand and with three years regular service in Officers of Central or State Governments or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies; and (iii) Proficiency in Computer operations is essential and possessing stenography speed of 80 words per minute and a minimum typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi. **For direct recruitment:** (i) Having passed Intermediate or 10+2 from any recognised Board; and (ii) Proficiency in Computer operations is essential and possessing stenography speed of 80 words per minute and a minimum typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi; and (iii) At least one year experience of working as Personal Assistant or Stenographer or Data Entry Operator in Central or State Governments or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies or private reputed organisation.	Between 18 and 25 years
6.	Driver	**Absorption or Deputation or Direct recruitment**	**For deputation**: Persons holding analogous post in Central or State Governments or Autonomous Organisation or Statutory Bodies with three years experience of driving. **For direct recruitment:** Metric pass and should be able to read and driving license from recognised institution with three years experience.	Between 18 and 25 years
7.	Multitasking Staff	**Absorption or Deputation or Direct recruitment**	**For deputation**: Persons holding analogous post in Central or State Governments or Autonomous Organisation or Statutory Bodies. **For direct recruitment:** Metric Pass and should be able to read and write English. **Desirable**: Working knowledge of computers.	Between 18 and 25 years

Note-I

Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note-II

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note-III

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years or the age of superannuation whichever is earlier.

Note-IV

The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

Schedule –VI

MEDICAL FACILITES

1. Outdoor Medical expenses-

(i) The Officers and employees of the Authority shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation - For the purpose of this clause, the expression "family" has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

(ii) The reimbursement of outdoor medical expenses pertaining to the treatment during a particular calendar year shall be limited to the actual expenses or one month's pay on 1st January of the relevant year (Basic pay + Dearness Allowance), whichever is less.

(iii) The release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on 1st January and for the officers joining during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.

(iv) The claim should be supported by a registered Medical Practitioner or Doctor's prescription and the original cash memos or bills for treatment by the Doctor and purchase of medicines.

(v) The outdoor treatment shall be taken from the Authorised Medical Attendants from the panel to be maintained by the Authority.

2. Indoor treatment-

(i) For the purpose of indoor treatment, the Officers and employees of the Authority shall be entitled for medical treatment at hospitals authorised by the Authority in this behalf, and for this purpose, the cost of treatment, including hospital accommodation, nursing home facility, etc., shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944, as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay.

(ii) The authorised hospitals for the purpose of clause (i) shall be the same as are available to the Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

(iii) Treatment at authorised hospitals may be taken on the advice of the Authorised Medical attendants except in emergency.

[F. No. WDRA/8/A&F/2011]

RANVIR SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.